न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 102 सन् 2022

पंजीयन दिनांक :- 01.07.2022

अनवान

कालुलाल पिता देवीलाल अहीर निवासी मंगलवाड़ तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट

विरूद्ध

1. रामा उर्फ रामलाल पिता वरदा (मुतबन्ना वेणीराम अहीर) निवासी मंगलवाड़ तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डूंगला जिला चित्तौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला
प्रकरण संख्या 184/2019 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2019

उपस्थित- 1. खूमराज कुमावत - अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट- रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय **दिनांक :- 12.04.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलवाड़ के खसरा नम्बर 2030 रकबा 0.6700 हैक्टेयर एवं 2866/2029 रकबा 0.6200 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.29 हैक्टेयर का वादी एवं प्रतिवादी सहखातेदारान के मध्य विभाजन किया जावे।

वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। उक्त पत्रावली में दिनांक 03.07.2019 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

वाद पत्र अनुसार बंटवाडा हेतु सहमत होना मानते हुए उपतहसीलदार मंगलवाड़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2019 को फाईनल निर्णय व डिक्री पारित किये गये जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 03.07.2019 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से वाद पत्र अनुसार बंटवाडा हेतु उपतहसीलदार मंगलवाड़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। कमिश्नर स्वयं ने मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नही किया। भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का मंगलवाड़ द्वारा बिना कोई सूचना अपीलांट प्रतिवादी को दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के मन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुये तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट प्रतिवादी को रास्ते से वंचित रखते हुए सड़क से काफी दूर पीछे की ओर भूमि देना प्रस्तावित किया गया तथा सड़क के निकट अच्छी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के हिस्से में रख दी गई। अपीलांट प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकार्ड पर नहीं लेकर प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी की सहमति होना मानते हुए बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर फाईनल निर्णय व डिक्री जारी कर दिये। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा चाहने हेतु सहमति हुई थी जिसके आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री जारी किये गये, किन्तु विभाजन प्रस्ताव मौके व कब्जे अनुरूप नही होकर नियमानुसार सही नही होने से अपीलांट प्रतिवादी को आपति होने के कारण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया एवं बहस हेतु अवसर चाहा जो नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलांट प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित रखते हुए पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2019 विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के अन्तिम निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो जाने से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहमति के आधार पर फाईनल निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। सहखातेदारान के मध्य हिस्से से संबधित कोई विवाद नहीं है। अपील फाईनल निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण विभाजन प्रस्ताव पर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय

मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में दिनांक 03.07.2019 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से वाद पत्र अनुसार बंटवाडा हेतु उपतहसीलदार मंगलवाड़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। कमिश्नर स्वयं ने मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार नही किया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट प्रतिवादी को सड़क से काफी दूर पीछे की ओर बंटवाडे में भूमि देना प्रस्तावित किया जिसके लिये कोई रास्ता विभाजन प्रस्ताव में नहीं दर्शाया गया तथा सड़क के निकट की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी के हिस्से में रख दी गई। अपीलांट प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर आपति करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकार्ड पर नहीं लेकर प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी की सहमति होना मानते हुए बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए फाईनल निर्णय व डिक्री जारी किया जाना पाया जाता है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला के प्रकरण संख्या 184/2019 रेवेन्यू वाद मे पारित फाईनल निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.2019 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि कमिश्नर स्वयं द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तलब किया जावे। उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 24.05.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

12/04/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)